संख्या-49/2025/आई/1109680/001-23-7005-43-2024

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 08 अक्टूबर, 2024

विषय- अपील अन्तर्गत धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 19.12.2023 न्यायालय जिला उपभोगता प्रतितोष आयोग, बस्ती परिवाद सं0-185/2022 पंकज पाण्डेय बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि में भुगतान हेतु डिक्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), बजट (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-8919बी0जी0/209बी0(80)/2024-25, दिनांक 04.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अपील अन्तर्गत धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 19.12.2023 न्यायालय जिला उपभोगता प्रतितोष आयोग, बस्ती परिवाद सं0-185/2022 पंकज पाण्डेय बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि में भुगतान हेतु धनराशि रू0 25,50,310.00 (रूपये पच्चीस लाख पचास हजार तीन सौ दस मात्र) का आवंटन जिला उपभोक्ता आयोग, जनपद बस्ती के पक्ष में डिक्रीटल मद से जमा किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,50,310.00 (रूपये पच्चीस लाख पचास हजार तीन सौ दस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

संख्या-49/2025/आई/1109680/001-23-7005-43-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, बस्ती।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
8- अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
9- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, बस्ती।
10-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।